पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 3301/अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक : 10.05.2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '86वाँ' (आपात) बैठक शुक्रवार दिनांक 10.05.2024 को अपराह्न 03.30 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। **बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–**

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. राजीव चौधरी – सदस्य
2. डॉ. संजय जे. डहरवाल – सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज – सदस्य
4. डॉ. रोहिणी प्रसाद – सदस्य
5. डॉ. कल्लोल कुमार घोष – सदस्य
6. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स – सदस्य
7. डॉ. मनोज मिश्रा – सदस्य
8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट – सदस्य
9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का – सदस्य
10. डॉ. बिजयानंद सिंह – सदस्य

डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त

1. **छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत विश्वविद्यालय भूमि मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में।**

निर्णयः विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् सचिव ने कार्यपरिषद् को निम्नांकित जानकारी से अवगत कराया :–

1. न्यायालय चतुर्थ, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर में विश्वविद्यालय की भू–अर्जन प्रकरणों की मुआवजा राशि भुगतान विवरण गणना पत्रक अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मुआवजा राशि के भुगतान हेतु राशि रूपये 14,57,18,158 (चौदह करोड़ सन्तावन लाख अठारह हजार एक सौ अठावन मात्र) छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग से धनादेश क्रमांक 987346 दिनांक 18 जुलाई 2022 के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ था कि ब्याज/अर्थदण्ड की राशि को कम करने हेतु प्रयास किया जाये।

   शासन के निर्देशानुसार ब्याज की राशि कम करने हेतु जिला न्यायालय, रायपुर में रिव्यू आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा लगाया गया है।

2. विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर अपील प्रकरण एफ.ए.एम. 11/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा स्थानीय न्यायालय में रिव्यू पीटिशन दायर किए जाने हेतु आदेशित किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से अभिमत प्राप्त किया गया है। उनके अभिमतानुसार विश्वविद्यालय को संबंधित न्यायालय में मुआवजा की राशि को जमा कराते हुए तत्काल पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए तथा पुनरीक्षण आवेदन के निराकरण होने के पश्चात् ही न्यायालय के आदेशानुसार पेनाल्टी/ब्याज की राशि को जमा कराया जाना उचित होगा।

3. मुआवजा की मूलधन राशि रूपये 67092217.00 (छः करोड़ सत्तर लाख बियानबे हजार दो सौ सत्रह मात्र) कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03/08/2022 में बिन्दु क्रमांक–08 पर हुए निर्णय के अनुक्रम में नोटशीट के पृष्ठ क्र. 06 एवं 09 पर कुलपति की सक्षम स्वीकृति के उपरांत माननीय जिला न्यायालय, रायपुर में धनादेश क्रमांक–197007 दिनांक 27 सितम्बर 2022 के द्वारा जमा कर दी गई थी।

4. शासन से विषयगत संदर्भ में प्राप्त धनराशि 14,57,18,158 (चौदह करोड़ सन्तावन लाख अठारह हजार एक सौ अठावन मात्र) में से अवशेष ब्याज की राशि रूपये 78625941.00 (सात करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार नौ सौ इकतालीस मात्र) का भुगतान नहीं किया गया एवं तत्संबंध में शासन के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका

क्रमांक 221/2024 दायर करते हुए मजबूती से अपना पक्ष रखा गया था; परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.03.2024 में विश्वविद्यालय के पक्ष को खारिज कर दिया गया है। एक प्रकरण में जिला न्यायालय, रायपुर से रिव्यू आवेदन खारिज होने पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर रिट याचिका विश्वविद्यालय द्वारा दायर किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा रिव्यू आवेदन के आदेश पर हस्तक्षेप नहीं करने पर वापस लिया गया था।

5. अन्य समान रिव्यू आवेदन प्रकरण पर यदि इसी प्रकार का निर्णय आता है और माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा विश्वविद्यालय के पक्ष में निर्णय नहीं दिया जाता है तब की स्थिति में ब्याज की राशि में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। जिससे विश्वविद्यालय एवं शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार आने की संभावना रहेगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, वर्तमान में ब्याज की शेष राशि 7,86,25,941.00 (सात करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार नौ सौ इकतालीस मात्र) को जिला न्यायालय, रायपुर में इस अनुरोध के साथ जमा कराया जाना उचित होगा कि ब्याज की राशि का भुगतान, रिव्यू आवेदन के अंतिम निराकरण के पश्चात् ही किया जाये।

उपर्युक्त जानकारी के अनुक्रम में चर्चा उपरांत कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त विश्वविद्यालय भूमि मुआवजा राशि की शेष राशि 7,86,25,941.00 (सात करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार नौ सौ इकतालीस मात्र) जिला न्यायालय में जमा करने की अनुमति प्रदान करते हुए योजित याचिकाओं की पैरवी किये जाने की अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 3302 /अका./का.प./2024 रायपुर, दिनांकः 10.05.2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी, संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)